PARIPEX - INDIAN JOURNAL OF RESEARCH | Volume - 11 | Issue - 10 | October - 2022 | PRINT ISSN No. 2250 - 1991 | DOI : 10.36106/paripex

ORIGINAL RESEARCH PAPER

Hindi

माता-पिता के विवाह-विच्छेद के बाद बच्चों का जीवन

KEY WORDS:

स्वर्ण कौर

विवाह प्रत्येक व्यक्ति के विकास हेतु अति आवश्यक है। मनु के अनुसार ''एक हिन्दू व्यक्ति तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक कि वह विवाह न करे और विवाह उपरांत दोनों के साहचर्य से बच्चे न पैदा हों।''1 और शतपथ ब्राम्हण के अनुसार'' पत्नी पति की अर्धांगिनी है। पुरुष जब तक विवाह नहीं कर लेता वह अधूरा ही रहता है।''2 प्राचीन काल में संयुक्त परिवार होते थे। उन संयुक्त परिवारों में व्यक्ति अपने बुजुर्गों के आश्रय में आपसी प्रेम से रहता था और उनके आशीर्वाद से अपने वैवाहिक जीवन का प्रारंभ करता था। किन्तु वर्तमान समय में भारत की प्राचीन व्यवस्था, पाश्चात्य सभ्यता के दुष्प्रभाव से खत्म हो रहीं हैं और 'एकल परिवार' प्रणाली लोकप्रिय हो रही है। जिसने लोगों को घमंडी, स्वार्थी और अभिमानी बना दिया है। इसके साथ जब पति-पत्नी की स्वच्छंद जीवन जीने की इच्छा मिल जाती है तो उनका वैवाहिक जीवन सुखद नहीं रहता। अकेले और स्वच्छंद रहने का सुख चाहने वाले, पूरे परिवार को नष्ट कर देते हैं। छोटे-छोटे झगड़े बड़ा रूप धारण कर लेते हैं, जो परिवार के टूटने के मूल कारण होते है। असल में परिवार एक ऐसे वृक्ष के समान होता है, जिसमें पति-पत्नी रूपी दो साखाएं, परस्पर मिली हुई हैं। यदि कोई भी शाखा उस वृक्ष से अलग होती है तो उसका सीधा असर वृक्ष के फूलों और फलों पर पड़ता है। वैसे तो पति-पत्नी आपसी सूझबूझ से अपने वैवाहिक जीवन को सुखद बनाते हैं। किन्तु कभी-कभी उनके वैचारिक मत नहीं मिलने के कारण उनमें मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, ऐसे मतभेदों से पति-पत्नी के बीच अलगाव उत्पन्न हो जाता है और उस अलगाव का सीधा असर उनके बच्चों पर पड़ता है। अरस्तु ने कहा है कि, ''बच्चा माता के दुलार और पिता की देख-रेख के मध्य स्वयं ही विकास करता है।'' किन्तु वर्तमान समय में आपसी झगडों के कारण माता-पिता बच्चों की उचित देख-रेख नहीं कर पाते। जिससे उनके बच्चों की मानसिक सेहत अच्छी नहीं रहती। असुरक्षा और बेचैनी उन पर हावी हो जाती है।

मानवीय सभ्यता की प्रगति तभी संभव है यदि प्रत्येक दंपति के संबंध अच्छे हैं। विवाह रूपी संस्था स्त्री, पुरूष को जीवन भर के लिए एक-दूसरे का साथ देने हेतु निकट ले आती है। लेकिन आजकल विवाह-विच्छेद की समस्या भारतीय परिवारों में देखने को मिल रही है। विवाह-विच्छेद जिसे तलाक भी कहा जाता है वैवाहिक संबंधों का वैधानिक अंत है। तलाक के लिए कानून का सहारा लिया जाना आवश्यक है, साथ ही यह अदालत के हस्तक्षेप के बिना सामाजिक नियमों के अनुसार भी हो सकता है। विवाह-विच्छेद अथवा तलाक वैवाहिक जीवन की असफलता का द्योतक है। कोई भी एक संहिताबद्ध विधि सभी व्यक्तिगत कानूनों को परिभाषित नहीं कर सकती है।3

विवाह विच्छेद का अर्थ -ß'Divorce* शब्द लेटिन भाषा के शब्द 'Dovortium' से बना है, जिसका अर्थ है **Turn aside**;निरस्त करें या एक तरफ वापस होना), **Separate**– अलग होनाद्ध4। एक दंपति का कानून का सहारा ले कर एक दूसरे से अलग हो जाना ही विवाह-विच्छेद कहलाता है। विवाह-विच्छेद हो जाना एक दुखद घटना होती है। विवाह-विच्छेद स्थिति को रोकना अति आवश्यक है। क्योंकि विवाह-विच्छेद का असर केवल विवाहित पुरुष एवं स्त्री तक सीमित नहीं रहता वह उनके बच्चों से उनका बचपन छीन लेता है। इस स्थिति से बचने हेतु, इसके कारणों को जानना अति आवश्यक है। विवाह-विच्छेद होने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-

1. सहनषीलता की कमीं, शीघ्र उत्तेजित हो जाना, अत्याधिक गुस्सा।
2. ससुरालवालों द्वारा वधू की प्रताड़ना।
3. मायको वालों का बेटी के जीवन में अत्याधिक हस्ताक्षेप।
4. पति द्वारा पत्नी और बच्चे को प्रताड़ित किया जाना, हिंसा का प्रयोग करना।
5. पति या पत्नी का किस अन्य के साथ अवैध संबंध होना।
6. पति द्वारा नशा कर, गाली देना एवं अपशब्द कहना।
7. पति-पत्नी का एक दूसरे पर शक।
8. मोबाइल का अत्याधिक उपयोग।
9. बच्चों पर पूरा ध्यान न देना।
10. परिवार और बच्चों को समय न दे पाना ।
11. पत्नी द्वारा पति की अथवा पति द्वारा पत्नी की मानसिक प्रताड़ना।
12. पत्नी का पति एवं उसके के परिवार से सामंजस्य न हो पाना।

झगड़े, अलगाव और विवाह-विच्छेद का जो भी कारण हो अगर उनके बच्चे हैं तो प्रत्येक दंपति को सहनशीलता का परिचय देते हुए, आपसी समस्याओं को बढ़ने नहीं देना चाहिये। किन्तु यदि विवाह-विच्छेद की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो बच्चों की अभिरक्षा का गंभीर प्रश्न सामने आता है। अर्थात बच्चे माता-पिता में से किसके पास रहने चाहिए! यदि बच्चा अथवा बच्चे मां के साथ रहेगा तो उसे स्नेह की कमी तो नहीं होगी। परन्तु इसके साथ ही बच्चे पिता के स्नेह से वंचित हो जायेंगे और उनकी शिक्षा, उनके जीवन निर्वाह अथवा परवरिश हेतु धन कहा से प्राप्त होगा। किन्तु यदि बच्चा पिता के साथ है तो उसे धन की कमी तो नहीं होगी किन्तु उसको मां का स्नेह और संरक्षण किससे मिलेगा, क्योकि छोटे बच्चों को हर वक्त संरक्षण की आवश्यकता होती है। वह उन्हें केवल माता ही प्रदान कर सकती है। बच्चों के विकास संबंधी अवधारणा के बारे में स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि ''एक बच्चा अपने माता पिता का भविष्य है, भविष्य का कर्मकार और नागरिक है, वह निश्चित ही देश का भविष्य है अतः उनको विशेष ध्यान और देखभाल की आवश्यकता होती है। बच्चों के अधिकार तथा उनकी प्रस्थिति को संरक्षण प्रदान करने से ही वे कल के जिम्मेदार नागरिक होगें।''5

अधिकतर देखने में आता है अगर विवाह-विच्छेदित माता-पिता पुनर्विवाह करते हैं तो बच्चों का अपने सौतेले माता या पिता सामांजस्य एवं अच्छा संबंध निर्मित हो पाना भी कठिन होता है बच्चों का हृदय अत्यंत कोमल होता है। उन्हें सदैव अपने माता-पिता को खोने का डर सताता है। परन्तु यदि उनके जीवन में इस प्रकार की कोई अप्रिय घटना हो जाये तो असर बच्चे की मानसिकता पर पड़ता है और नकारात्मक विचार उन्हें घेर लेते है और वह विद्रोही स्वभाव के बन जाते हैं। इसके साथ ही उनका शारीरिक विकास भी बाधित हो जाता है और एकाग्रता की कमी की कमी के कारण पढ़ाई का नुकसान होता है। बच्चा अपने माता-पिता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है जिससे उसके खाने और सोने की समस्या सामने आती है। इस प्रकार माता-पिता के साथ एक खुशहाल परिवार में रहने वाले बच्चों में सुरक्षा की जो भावना होती है। उससे विपरीत ही अलगाव वाले परिवार के बच्चे में असुरक्षा की भावना होती है जो अकसर अकेलापन और नकारात्मकता के तरफ अग्रसर होना आदि रूप में प्रकट होती है। माता-पिता के अलगाव के कारण बच्चा अपने दादा-दादी, अध्यापकों और सहपाठियों के सहयोग और सहानुभूति की अपेक्षा करता है। जिससे वह अपनी मुश्किलों से मुक्ति पा सके। परन्तु यदि सहपाठी उसका उपहास तथा उनका तिरस्कार करते हैं तो उसका मन और भी आहत हो जाता है तब वे कई मानसिक रोगों के कम बोलना, डरे सहमे रहना और अपनी भावनाओं छुपानाआदि के शिकार हो जाते है। यदि बच्चों को माता या पिता के स्नेह से वंचित हो जाने पर ग्रांडपेरेन्टस का साथ मिल जाये तो उनको अकेलापन महसूस नहीं होता और बच्चा अपने आप को अकेला और असुरक्षित महसूस नहीं करता हैं।

बच्चे को अपने जीवन में माता-पिता दोनों की अवश्यकता होती है, परन्तु यदि बच्चे और माता-पिता का एकसाथ रहना तनावयुक्त तथा भययुक्त वातावरण निर्मित करता है तो ऐसी स्थिति में अलग रहना ही बच्चे और माता-पिता के लिये उचित है क्योकि हिंसक रवैया, झगड़ा, बहस आदि बच्चे को नकारात्मकता की ओर अग्रसर कर देते है। विवाह-विच्छेद हो जाए तो पति एवं पत्नी दोनों का कर्तव्य बन जाता है कि वह बच्चे को सहयोग दें इसके लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं-

सुझाव :-

1. माता-पिता को बच्चों से कभी भी दूरी नहीं बनानी चाहिये। विवाह-विच्छेद के बाद भले ही वे पति-पत्नी नहीं हैं परंतु उन्हें बच्चे के माता-पिता होने का दायित्व अवश्य निभाना चाहिए।
2. उन्हें अपने बच्चों के लिए अपने अहम् को त्याग कर मतभेदों को समाप्त करने हेतु बातचीत के लिये हमेशा तैयार रहना चाहिये।
3. सरकार को भारत में तलाक की बढ़ती दर को घटा कर, तलाक द्वारा निराश्रित महिलाओं और बच्चों की देखभाल हेतु नयीं योजनाओं का शुभारंभ करना चाहिये।
4. न्यायालय को भरण-पोषण एवं अभिरक्षा संबंधी वादों का निराकरण जल्द करना चाहिये ताकि बालकों पर अत्याधिक समय तक मानसिक बोझ न पड़े।
5. बच्चों की बेहतरी इसमें ही है कि माता-पिता आपसी विवादों का असर बच्चों के जीवन में कम से कम पड़ने दे और उसकी शिक्षा, हित, स्वास्थ्य के विषय में दोनों अपना उत्तरदायित्व पूरा करें ताकि बच्चें में कोई विकृत व्यवहार न पनप पाये।
6. पति-पत्नी जब अलग होते है तो वे बच्चे को अपने प्रभाव में लाने हेतु दूसरे पाटर्नर के प्रति नकारात्मक बातें करते हैं जोकि बच्चे को उससे दूर कर देता है क्योंकि ऐसी बातें उसके मन मे उस माता या पिता जो भी हों, घृणा और क्रोध पैदा कर देती है। अतः बच्चों को अपने झगड़ों में शामिल करने से बचना चाहिये।
7. भारत में बच्चें की कस्टडी पाने हेतु ''शेयरड पेरेन्टिंग सिस्टम'' का आरम्भ करना चाहिये।

विवाह-विच्छेद ओर पति-पत्नी के मध्य होने वाले वाद-विवाद के कारण परिवार का वातावर्ण सदैव तनावयुक्त रहता हैं जो बच्चों को मानसिक पीड़ा पहुंचाता है। परिवारिक माहौल के साथ अर्थिक तौर पर भी गंभीर एवं विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। भारतीय समाज में पुरूष कमाते है। एवं स्त्रियां घर संभालती हैं। जब एक बच्चा मां के साथ अपना घर छोड़ता है तो वह पिता की संपति से बंचित हो जाता है। आयु बढ़ने के साथ ही बच्चे को अपने माता-पिता के संरक्षण की आवश्यकता होती है क्योंकि अगर माता-पिता साथ-साथ रहते हैं तो उनके साथ बच्चे की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति अच्छी तरह हो जाती है परन्तु यदि किसी भी कारण से माता-पिता अलग होते है तो इसका बच्चे के मानसिक एवं शारीरिक विकास पर व्यापक प्रभाव पडता है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहार वाजपेयी का कथन है कि ''बच्चे समाज की सबसे बड़ी पूंजी हैं, बच्चों पर निवेश करने का अर्थ है देश के अच्छे भविष्य के लिये नवेश करना। ''6 किन्तु वर्तमान समय में व्यक्ति का अहम् और घमंड इतना बढ़ चुका है कि उसे समाज की यह सबसे बड़ी पूंजी पर निवेश करना अच्छा नहीं लगता। कई पिता अपने बच्चों को जीवन निर्वाह करने हेतु भरणपोषण राशि देने में भी संकोच होता है।

कानून के अनुसार यदि किसी बच्चे के माता-पिता विवाह-विच्छेद करते हैं तो उस बच्चे को

पिता से भरणपोषण राशि एवं उचित जीवन स्तर बनाये रखने हेतु राशि प्राप्त करने का अधिकार है और बच्चे अगर बोलने एवं समझने लायक है तो न्यायालय द्वारा उससे यह भी पूछा जाता है कि वह अपने माता-पिता में से किस के साथ में रहना चाहता है। बच्चे के अधिकारों के संरक्षण और विकास पर उच्चतम न्यायालय का यह मत है कि ''बच्चे देश के भावी नागरिक है, बच्चों का उचित पालन पोषण और उचित प्रशिक्षण, उन्हें अच्छा व्यक्तित्व प्रदान करेगा जिससे वे अच्छे मानव बनकर उभरेंगे। बच्चे समाज की नींव और रीढ़ की हड्डी हैं हमें उनका विशेष ख्याल रखना होगा ताकि वे राष्ट्र के निर्माण में अग्रदूत बने।''7 उच्चतम न्यायालय का यह

संदर्भ-ग्रंथ

1. मनुस्मृति, अध्याय 9, पृष्ठ 96
2. डॉ.बसंती लाल बावेल, विवाह एवं तलाक विधि, प्रथम संस्करण 2014, ईस्टर्न बुक कंपनी लखनउ, पृष्ठ 3।
3. डॉ. एस.के.अवस्थी, विवाह और तलाक विधि एवं अन्य वैवाहिक विवाह, चतुर्थ संस्करण, 2013, जबलपुर लॉ पब्लिकेशन, पृष्ठ 9
4. वही, पृष्ठ 7
5. वी. शिवशंकर राव रिसर्च स्कालर, द रोल ऑफ फैमिली इन चाइल्ड डवलपमेंट विज अ विज चाइल्ड इन कानफिलक्ट इन लॉ : एन इंडियन प्रोस्पेक्टिव,ए. एन. यूनिवर्सिटी नागार्जुन नगर, आन्ध्रप्रेश, पेज नं. 47
6. वही, पेज नं. 270
7. शीला बारसे बनाम एस.सी.ए. सोसायटी 1987 एस सी सी 50-54 पैरा 5